उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-1
सं0-70/2018/सं0वि0क0नि0-1-383/11-2018-90/2016टी0सी0
लखनऊ:: दिनांक:: 11 मई, 2018

-: कार्यालय-आदेश:-

वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिए गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था विषयक वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008 दिनांक 05 नवम्बर, 2014 के प्राविधानों के अन्तर्गत वाणिज्य कर विभाग के विभागीय अधिकारियों के लिए 01 जनवरी, 2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य कराये जाने हेतु प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के अनुमन्यता के प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु निम्नानुसार संशोधित स्क्रीनिंग कमेटी का गठन एतद्द्वारा किया जाता है:-

1-	श्री मो0 मारूफ, विशेष सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2-	श्री एस0पी0 शुक्ल, संयुक्त सचिव, वाणिज्य कर विभाग उ0प्र0 शासन।	सदस्य
3-	श्री सुभाष चन्द्र यादव, एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर विभाग, मुख्यालय उ0प्र0	सदस्य

उक्त स्क्रीनिंग कमेटी की प्रत्येक वर्ष के माह जनवरी व जुलाई में दो बैठकें आयोजित की जायेंगी। माह जनवरी में होने वाली बैठक में पूर्ववर्ती माह दिसम्बर तक के मामलों में तथा माह जुलाई में होने वाली बैठक में पूर्ववर्ती माह जून तक के मामलों में विचार किया जायेगा। इस संबंध में पूर्व निर्गत कार्यालय आदेश सं0-सं0वि0क0नि0-1-2340/11-2015-268/2010, दिनांक 16.12.2015 को एतद्द्वारा संशोधित समझा जाय।

एस0पी0 शुक्ल
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन-सं0वि0क0नि0-1-383(1)/11-2018, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उ0प्र0 शासन को अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उ0प्र0 शासन के संज्ञानार्थ।
3. श्री मो0 मारूफ, विशेष सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. श्री एस0पी0 शुक्ल, संयुक्त सचिव, वाणिज्य कर विभाग उ0प्र0 शासन।
5. श्री सुभाष चन्द्र यादव, एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्य कर विभाग, मुख्यालय उ0प्र0।
6. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in